उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-26/2019/261/92-2-19-11जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 12 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मैनपुरी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो के तकनीकी प्राक्कलनों की स्वीकृति में की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3,44,577.00 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-35/2017/181/92-2-2017-11जांच/17 दि0 01-03-2017 द्वारा श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर के पत्रांक-628/13-07-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रकरण के संबंध में दि0 20-07-17 को परि0-कार्यालय कानपुर में अपरान्ह 12.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष साक्ष्यों सहित रखने का अवसर दिया गया। अपचारी अधिकारी के अनुरोध पर जांच अधिकारी के पत्रांक-375/दि0 09-08-2017 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता परि0-कानपुर के पत्रांक-829/दि0 14-08-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी के मौखिक सुनवाई हेतु दि0 17-08-2017 को उनके कार्यालय में अपरान्ह 12.30 का समय निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि में अपचारी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रसं0-387/दि0 17-08-2017 द्वारा साक्ष्य सहित बचाव उत्तर दिया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-कानपुर ने नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्रसं0-1011/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जां0/श्रीपरवेज/ अधि0अभि0/ 17-18 दिनांक 07-09-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री परवेज पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से सभी आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

आपके द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर कार्यरत रहते हुये विकास खण्ड-मैनपुरी के अंतर्गत घिरोर कुरावली मार्ग से डोरा बंजारा होते हुये पंचम सिंह के मकान तक500 मी0 में डामरीकरण मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन सं0-104/ई0ई0 दिनांक 26.09.2012 मु0 रू0 18.721 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नहीं घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिए, परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोडकर आयी दर पर व्यापार कर की गणना की गयी है। जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई -

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2491.70	2071.90	419.80	165	69267.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	कनसोलीडेशन 45-63	2491.70	2424.10	67.600	1125	7605.00
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	3099.50	2597.10	502.40	1125	56520.00
4	पी0सी0 का कार्य	159.09	141.85	17.24	1500	25860.00
5	सीलकोट का कार्य	74.36	68.62	5.74	1500	8610.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					1,67,860.00

अत: आप अपने पद का दुरूपयोग करने, नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 1,67,860.00 लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये आपको आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

आपके द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर रहते हुये विधान सभा किशनी के अंतर्गत रामनरेश यादव फौजी के मकान से ब्योती कटरा निहालपुर लिंक मार्ग से गंगदासपुर तक 400 मी0 में डामरीकरण मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन संख्या-105/ई0ई0/दिनांक 26.09.2012 मु0 रू0 15.78 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है, परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नही घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिये परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोड़कर आयी दर में व्यापार कर की गणना की गयी है। जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई-

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2491.70	2200.40	291.30	165	48064.50
2	कनसोलीडेशन 45-63	2717.60	2551.70	165.90	112.5	18663.75
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	3099.50	2686.00	413.50	112.5	46518.75
4	पी0सी0 का कार्य	159.09	146.68	12.41	1500	18615.00
5	सीलकोट का कार्य	74.36	70.74	3.62	1500	5430.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					1,37,292.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अत: आप अपने पद का दुरूपयोग करने, नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 1,37,292.00लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये आपको आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

आपके द्वारा अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर रहते हुये विकास खण्डकरहल के के अंतर्गत नगला तुला तरौलिया मार्ग से उटैया मार्ग के शेष भाग 300 मी0 में डामरीकरण नाली सहित मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन सं0-197/ई0ई0/दिनांक 18.04.2013 मु0 रू0 10.878 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है, परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नही घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिये परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोड़कर आयी दर में व्यापार कर की गणना की गयी है। जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई-

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2297.50	2071.90	225.60	99	22334.40
2	कनसोलीडेशन 45-63	2426.20	2424.10	2.10	67.50	141.75
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	2757.00	2597.10	159.90	67.50	10793.25
4	पी0सी0 का कार्य	157.64	154.09	3.55	900.00	3195.00
5	सीलकोट का कार्य	67.30	64.01	3.29	900.00	2961.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					39,425.00

अत: आप अपने पद का दुरूपयोग करने, नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 39,425.00 लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये आपको आरोपित किया जाता है।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर की जांच आख्या दिनांक 07.09.2017 में अपचारी अधिकारी, श्री परवेज पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में सभी आरोप स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र सं0-1842/92-2-17-11जांच/2017 दिनांक 06-11-2017 द्वारा श्री परवेज का लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-726/ग्रा0अ0वि0/16-17/जांच/ दिनांक 08-12-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 के लिये उत्तरदायी है। अपचारी अधिकारी, श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता से शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली करने तथा उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र सं0-2640/92-2-18-11जांच/2017 दिनांक 12.10.2018 एवं पत्र सं0-3052/92-2-18-11जांच/2017 दिनांक 04.12.2017 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-57/08/एबीसी/एस-12/18-19 दिनांक 19.01-2019 द्वारा निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

'' श्री परवेज के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली उनसे करने के साथ ही परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जाय। ''

4- लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति दिनांक 19-01-2019 के क्रम में श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति प्रखण्ड-हमीरपुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-दिनांक 01-03-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली कर निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी के कार्यकाल में कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली करते हुये प्रखण्ड-मैनपुरी में कराये गये अधोमानक कार्य का भुगतान किये जाने, पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति प्रखण्ड-हमीरपुर को परिनिन्दित किया जाता है।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26/2019)261/1/(92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0-57/08/एडीसी/एस-12/18-19 दि019.01.2019 के क्रम में।
3- श्री परवेज तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति प्रखण्ड-हमीरपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in